राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141–2224878 ई–मेलः rmsc.mnjy@gmail.com

क्रं.: एफ04( )एमएनजेवाई/ पीपीपी विशिष्ट/2019–20/ 165 दिनांक : 30.05.19

ई– टेण्डर निविदा सूचना

राज्य के 46 जिला/उपजिला/सेटेलाइट चिकित्सालयों में आउटसोर्स मोड़ पर मरीजों को 40 विशिष्ठ जांचों की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है। इच्छुक निविदादाता विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in, www.eproc.rajasthan.gov.in www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते है एवं आवेदन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर कर सकते है।

खुली निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। (स्वास्थ्य भवन)
2.	कार्य का नाम	54 जिला/उपजिला/सेटेलाइट चिकित्सालयों में आउटसोर्स मोड़ पर मरीजों को 40 विशिष्ठ जांचों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में
3.	अनुमानित लागत	120 करोड़
4.	अमानत राशि	2.4 करोड़
5.	प्री. बिड कान्फ्रेन्स	**10.06.2019** प्रातः **11.00** बजे निदेशालय स्थित कॉन्फ्रेस हॉल
6.	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड की अवधि	**30.05.2019** से **30.06.2019** सांय **5.00** बजे तक
7.	ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक	**01.07.2019** दोपहर **3.00** बजे
8.	ऑन लाईन निविदा खोलने का कार्यालय,	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
9.	निविदा फार्म शुल्क	10000 रू0
10.	निविदा प्रोसेसिगं शुल्क	1000 रू0

निविदा पत्रों को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.rajswasthya.nic.in, www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करा सकते है। वित्त विभाग की आदेश संख्या एफ.(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011(सर्कुलर नं.19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/– व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यो के लिए 1000/– रूपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में देय होगी। यह डिमाडं ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक MD RISL के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

1 धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत होगी निविदा शुल्क व डिमाण्ड राशि/बैंकर्स चेक Director (PH) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, जयपुर के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

2 निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, धरोहर राशि Director (PH) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें, जयपुर के पक्ष में देय शुल्क एवं शपथ पत्र (निविदा प्रपत्र में बताऐ अनुसार) की मूल प्रति कार्यालय प्रभारी एमएनजेवाई कमरा नं. 9 न्यू बिल्डिंग निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में दि0 01.07.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा कराया जाना आवश्यक है, इसके बिना तकनीकी निविदा को नहीं खोला जावेगा एवं उक्त की स्कैन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करानी होगी।

3 निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.rajswasthya.nic.in, www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

4 निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना एवं निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, विभिन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्ते व विवरण वर्णित है।

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141–2224878
ई–मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

क्रं.: एफ04( )एमएनजेवाई/ पीपीपी विशिष्ट/2019–20/ दिनांक :

5 विभाग द्वारा निविदा की प्रीबिड कॉन्फ्रेस दि0 10.06.2019 प्रातः 11.00 बजे निदेशालय स्थित कॉन्फ्रस हॉल में आयोजित की जायेगी। उक्त मिटिंग में निविदादाताओं से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कॉरीजेण्डम भी अपलोड किया जा सकता है, जिसे आरएफपी का हिस्सा माना जायेगा, अतः निविदादाताओं से अनुरोध है कि इनके अनुसार ही अपना निविदा प्रपत्र अपलोड करें।

6 निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी, यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।

7 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक (जन स्वा0) के पास सुरक्षित है।

8 आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013 एवं आरटीपीपी के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होगें।

9 ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देशः–

- इन निविदाओं हेतु इच्छुक निविदादाता निविदा पत्रों को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.rajswasthya.nic.in, www.dipr.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओं में भाग लेने निविदादाताओं को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेन्शन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाता के पास पूर्व में वेद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त साईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर ही खोली जायेगीं। यदि निविदा खोलने की दिनांक को राज्य सरकार के द्वारा किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदाऐं अगले कार्यदिवस को खोली जावेगी।
- सशर्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई हैं।
- कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
- टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों/एनेक्सचर को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज किया जाना चाहिए।

10 निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क, MD (RISL) के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, धरोहर राशि निदेशक जन स्वा0 के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक/बैंक गारन्टी, शपथ पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत 3 वर्षो का टर्नओवर (सीए से प्रमाणित करवाकर) तथा गत तीन वर्षो की इनकम टेक्स रिटर्न प्रमाण पत्र की प्रतियां वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराना आवश्यक है। निविदा शुल्क, धरोहर राशि निदेशक जन स्वा0 के एवं MD (RISL) के पक्ष में प्रोसेसिंग देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक तथा शपथ पत्र की भौतिक प्रति उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय प्रभारी एमएनजेवाई कमरा नं. 9 न्यू बिल्डिंग निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में जमा करानी होगी इसके अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

11 सफल निविदादाता को टेंडर लागत के बराबर **5%** (पांच प्रतिशत) प्रतिभूति राशि अनुबन्ध के समय जमा करानी होगी, प्रतिभूति राशि निम्न रूप में जमा कराई जा सकती है:–।

i. बैंक ड्राफ्ट ii. बैंकर्स चेक iii. नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट iv. बैंक गारण्टी

यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश सारी निविदाए खोली नही जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाए खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेसपोन्सेव निविदादाताओं की वित्तिय निविदा खोलने की सूचना निविदादाताओं को ईमेल द्वारा दी जावेगी। जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज.जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Service
Rajasthan, Jaipur

Request for Proposal

For

"Advance investigations" on Outsource Mode at District/ Sub District/Satellite Hospitals

Director (PH)
"Directorate of Medical & Health Service" Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.
Tel : 0141–2229858, 2224878
Email: rmsc.mnjy@gmail.com

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

1. वर्तमान में राज्य के जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों/में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजनान्तर्गत 56 जांचे सभी श्रेणी के मरीजों हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।
2. मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयों में मरीजों एवं जांचो को अत्यधिक दबाव रहता है एवं जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों के मरीजों को भी विशिष्ट जांचे हेतु इन चिकित्सालयों में जाना होता है जिसके कारण इन चिकित्सालयों में दवाब और अधिक बढ़ जाता है।
3. भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन अनुसार वे जांचें जो कि कम मात्रा में हो, जिनके उपकरण महगें हो एवं जिनके लिये विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो, की अनुपालना में 40 विशिष्ट जॉचों की सेवाओं हेतु दर संविदा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
4. प्रस्तावित 40 विशिष्ट जांचों को जिला/उपजिला/सेटेलाईट चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है ताकि मरीजों की यह जांचे उसी चिकित्सालय में उपलब्ध हो सके। इससे मरीजों एवं जांचों का दबाव मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयो में कम करने में मदद मिलेगी।
5. प्रस्तावित विशिष्ट जांचे मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयों मे आरएमआरएस की दर पर उपलब्ध है, जबकि जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों में यह जांचे निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। जॉचों का विवरण एवं दर Appendix I पर उपलब्ध है।
6. वर्तमान में सामान्यतः जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों में औसतन 6000 विशिष्ट जांचें प्रतिदिन की जा रही हैं। अतः मरीजो को विशिष्ट जांचे इन चिकित्सा केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध करवाने हेतु "Request for proposal" (RFP) निविदा आमंत्रित की जाती है।
7. निविदा प्रपत्र वेवसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड/आवेदन किया जा सकता है।

Following schedule will be observed in this regard:

Schedule	Time and Dates
Pre-bid conference	10-06-2019 at 11.00 am
Last date for Submission of Bids	30-06-2019 upto 05.00 pm
Opening of Technical Bid	01-07-2019 at 03.00 pm

Table of Contents

S.No.	Content	Page No.
1.	Project Background	4-6
2.	Terms & Conditions for advance investigations at DH/SDH/ satellite hospitals by open rate contract	7-12
3.	**General terms & conditions**	12-15
4.	Evaluation of Tenders	16
5.	Eligibility Criteria	17
6.	Technical Qualification Criteria	18-19
7.	Instruction for Bidders	19-20
8.	Forwarding Letter for Technical Bid (Appendix A)	21
9.	Bidding authorization Letter (Appendix B)	22
10.	Assignment of Similar Nature Successfully Completed (Appendix C)	23
11.	Particulars of the Bidder's Company (Appendix D)	24
12.	Financial Bid (Appendix E)	25
13.	Performa of Bank Guarantee (Appendix F)	26
14.	Affidavit by Bidder (Appendix G)	27
15.	List of Institutions (Appendix H)	28-29
16.	Schedule of proposed test time frame & rate list(Appendix I)	30-31
17.	"Annexure A" Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest	32
18.	"Annexure B" Declaration by the Bidder regarding Qualification	33
19.	"Annexure C" Grievance Redressed during Procurement Process	34-36
20.	"Annexure D" Additional Conditions of Contract	37

Project Background:

1. वर्तमान में राज्य के जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनान्तर्गत 56 जांचे सभी श्रेणी के मरीजो हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।
2. मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयों में मरीजों एवं जांचो को अत्यधिक दबाव रहता है एवं जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों के मरीजों को भी विशिष्ट जांचे हेतु इन चिकित्सालयों में जाना होता है।जिसके कारण इन चिकित्सालयों में दवाब ओर अधिक बढ़ जाता है।
3. भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन अनुसार वे जांचें जो कि कम मात्रा में हो, जिनके उपकरण महगें हो एवं जिनके लिये विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो, की अनुपालना में 40 विशिष्ट जॉचों की सेवायें दर संविदा के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
4. प्रस्तावित 40 विशिष्ट जॉचों को जिला/उपजिला/सेटेलाईट चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना है ताकि मरीजों की यह जांचे उसी चिकित्सालय में हो सके। इससे मरीजों एवं जांचों का दबाव मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालयो में कम करने में मदद मिलेगी।
5. चिकित्सा संस्थानों में विशिष्ट जॉचें मरीजों को संबंधित चिकित्सा संस्था के चिकित्सको द्वारा चिकित्सकीय परार्मश उपरान्त लिखी जावेगी इस हेतु संबंधित चिकित्सा संस्थान पर सैम्पल कलैक्शन की व्यवस्था फर्म को अपने स्तर पर करनी होगी।
6. फर्म को चिन्हित स्थान जिला/उपजिला/सैटेलाईट चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की अनुमति पश्चात् आंवटित किया जायेगा।
7. चिन्हित स्थान पर सैम्पल कलैक्शन हेतु प्रशिक्षित मेनपावर, फर्नीचर, कन्जूमेबल्स (वाईल्स,सिरीन्ज, कटर, स्प्रीट स्वाब, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन डोमेस्टिक फ्रिज, बायोप्सी हेतु फोर्मलिन जार, एफएनएससी हेतु फिक्सेटिव, कोपलिंन जार, स्लाईड, कलचर जांच संबंधित मिडिया वाईल, पीपीई किट एवं इन से संबंधित समस्त सामग्री) की व्यवस्था फर्म को ही करनी होगी।
8. मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सैम्पल कलैक्शन हेतु फर्म द्वारा किया जावेगा, मरीजों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रिपोर्ट देने की व्यवस्था फर्म द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु फर्म को कम्प्यूटर एवं नेट कनेक्शन की व्यवस्था स्वंय के स्तर पर करनी होगी।
9. सैम्पल कलैक्शन और रिपोर्टिंग काउण्टर सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थान पर करना होगा।
10. मरीजों को जाँच रिपोर्ट निविदा मे बताये गयी समय सीमा (TAT) के अन्दर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन उपलब्ध करवाना चयनित फर्म द्वारा सुनिश्चित करना होगा।
11. फर्म को सातों जोन में प्रवेश स्तर (entry level) पर ISO 151–89 गाईडलाइन के अनुसार प्रयोगशालायें स्थापित कर अनुबंध की अवधि के 8 माह के भीतर प्रस्तावित सभी 40 जॉचों को NABL से मान्यता प्राप्त करवानी होगी। 8 माह की अवधि के भीतर में जिन जॉचों को एनएबीएल से प्रमाणित नहीं करवाया जाता है, उन जॉचों की कुल राशि का भुगतान एनएबीएल से प्रमाणित होने तक नहीं किया जावेगा।
12. प्रत्येक जोनल प्रयोगशाला को Appendix I में वर्णित शतप्रतिशत जॉचो का नियमानुसार त्रैमासिक (Quaterly) EQAS करवा कर राज्य स्तर पर गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
13. प्रत्येक जोनल प्रयोगशाला में ISO 151–89 गाईडलाइन अनुसार जॉचों हेतु पैथोलॉजिस्ट, माइकोबायोलॉजिस्ट एवं बायोकैमिस्ट सभी का होना आवश्यक है।